FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत SDO मुकाम बड़ीसादड़ी

किस्म मुकद्दमा श्री रोड़ा बनाम श्री रामेश्वर

53 RTAct नं. 42/18 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/5/18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट पाडेड़ा पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि रोड़ा पिता चतरमल डांगी पन्चट व रामेश्वर पिता गणेशराम आपसी सहमति द्वारा राजीनामे पेश किया गया।	

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा पन्चट ① रोड़ा पिता चतरमल डांगी

311 नि.		
680/1	0.54	1.08
680/3	0.30	0.60
2	0.84	1.68

② रामेश्वर / 1.02 / डांगी

680/1	0.54	1.08
680/2	0.31	0.62
2	0.84	1.70

इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बड़ीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

14/5/18

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official